

8607



166 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177447

E 177447



कार्यालय उपनिबन्धक, जोन- 4, कानपुर नगर।

1- प्रस्तुत दिनांक : 26-08-2014ई०

2- निष्पादन दिनांक : 26-08-2014ई०



ला 26-न 14 ई०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177455

E 177458

2

- 3- प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता : श्री लाखन सिंह व अरविन्द सिंह वयस्क
पुत्रगण शिवप्रसाद ए व म सुखवासी
वयस्क पुत्र स्वर्गीय सूबेदार निवासीगण
ग्राम मेहरवानसिंह का पुरवा परगना व
तहसील सदर जनपद कानपुर नगर।
- 4- लेखपत्र का प्रकार : विक्रयपत्र
- 5- प्रतिफल : 51,35,000 / - रुपया
- 6- बाजारी मूल्य : 42,78,687 / - रुपया
- 7- विक्रेतागण का नाम व पता : श्री लाखन सिंह व अरविन्द सिंह वयस्क

पुत्रगण शिवप्रसाद ए व म सुखवासी

अरविन्द



लाखन सिंह



सुखवासी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177457

E 177457

3

8- क्रेता का नाम व पता

वयस्क पुत्र स्वर्गीय सूबेदार निवासीगण
ग्राम मेहरवानसिंह का पुरवा परगना व
तहसील सदर जनपद कानपुर नगर।

ग्रेस लैण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा
डायरेक्टर श्री अनूप सिंह पुत्र
धर्मपाल सिंह पंजीकृत कार्यालय 375/3
नारायण कुटी नियर चकरी रेलवे स्टेशन
कानपुर नगर। CIN No.45303 MH 2014

ABSFS6658P

Pan no.

कानपुर

11/2/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177456

E 177456

4

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1- स्थान | : | ग्राम मेहरवानसिंह का पुरवा, कानपुर नगर। |
| 2- आराजी नम्बर | : | खाता संख्या 14 में वर्णित आ0न0 1202
रकवा 0.6040हे0 का जुजं भाग रकवा
0.4027हे0 स्थित ग्राम मेहरवानसिंह का
पुरवा तहसील परगना सदर व जिला
कानपुर नगर। |
| 3- विक्रीत क्षेत्रफल | : | 0.4027हे0 |
| 4- भूवन/भूखण्ड/कृषि | : | कृषि |

मेहरवानसिंह
अरविन्द

मेहरवानसिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177455

E 177455

5

5- सीमाओं का विवरण :

आराजी न0 1202, की सीमायें

पूरब	:	आराजी नम्बर 1203
पश्चिम	:	पांडव नदी
उत्तर	:	आराजी नम्बर 1201
दक्षिण	:	आराजी नम्बर 1203

9- सीमा में सड़क चौड़ाई

व स्थिति

विक्रीत सम्पत्ति की किसी भी सीमा में कोई सड़क नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति किसी भी

आराजी न0 1202
आराजी न0 1202

5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177454

6

राष्ट्रीय, राजकीय, जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। बल्कि पाडव नदी के किनारे स्थित है। विक्रीत आराजी वास्तव में कृषि भूमि है तथा वर्तमान समय में उस पर कृषि हो रही है तथा कागजात सरकारी में कृषि भूमि अंकित है विक्रीत आराजी टुकड़ों में विक्रय नहीं की जा रही है विक्रेतागण व क्रेता अनुसूचित जाति/ जनजाति के नहीं हैं। विक्रीत आराजी का मानचित्र विक्रयपत्र के

०१/२०१५



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177453

E 177453

7

साथ संलग्न है, जो कि सच व सही है तथा विक्रीत आराजी के अनुरूप है। आराजी विक्रीत आराजी में कोई कुआं या नलकूप आदि नहीं है। विक्रीत आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में कृषि कार्य हो रहा है। एवं कोई भी आवासीय व्यासायिक गतिविधियां नहीं है। फिर भी क्रेता द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

आरंभिक



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177452

8

नोट— यह कि उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित खसरा की असल प्रतिलिपि दस्तावेज

संख्या 8042 के साथ संलग्न है।

स्टाम्प अदायगी का विवरण

1— जिलाधिकारी दर कृषि भूमि	:	85,00,000 /—रुपया प्रति हेक्टेयर
2— भूमि का मूल्य	:	34,22,950 /—रुपया
3— 25 प्रतिशत अतिरिक्त	:	8,55,737 /— रुपया
4— सम्पत्ति का कुल मूल्य	:	42,78,687 /— रुपया
5— स्टाम्प देयता हेतु मूल्यांकन	:	51,35,000 /— रुपया
6— जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प देयता 7 प्रतिशत	:	3,59,450 /—रुपया
7— कुल दिया गया स्टाम्प	:	3,60,000 /—रुपया

माइकल सिंह



माइकल सिंह



सुशाना / 10/08/20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177451

E 177451

9

विक्रयपत्र ::

यह विक्रयपत्र आज कानपुर नगर में श्री लाखन सिंह व अरविन्द सिंह वयस्क पुत्रगण शिवप्रसाद व सुखवासी वयस्क पुत्र स्वर्गीय सूबेदार निवासीगण ग्राम मेहरवानसिंह का पुरवा परगना व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर, जिन्हें इस विक्रयपत्र में शब्द "विक्रेतागण" से सम्बोधित किया गया है, के द्वारा— ग्रेस लैण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० के डायरेक्टर श्री अनूप सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह पंजीकृत कार्यालय 375/3 नारायण कुटी नियर चकरी रेलवे स्टेशन कानपुर नगर, जिसे इस विक्रयपत्र में शब्द "क्रेता" से सम्बोधित किया गया है, के पक्ष में निष्पादित किया जा

लाखन सिंह

अरविन्द

सुखवासी सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177450

E 177450

10

रहा है। विक्रेतागण व क्रेता से तात्पर्य उनके अधिकृत, विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारीगण, व स्थानापन्न आदि सम्मिलित हैं।

विदित हो कि विक्रेतागण खाता संख्या 14 में वर्णित आ0न0 1202 रकवा 0.6040हे0 का जुज भाग रकवा 0.4027हे0 स्थित ग्राम मेहरवानसिंह का पुरवा तहसील परगना सदर व जिला कानपुर नगर के संयुक्त रूप से मालिक काबिज व दखील है विक्रेतागण को उपरोक्त आराजी जरिये वरासतन प्राप्त हुई है जिसके आधार पर विक्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमीणय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात चला आ रहा है जिसका पूर्ण विवरण एवं चतुर्दिक सीमायें इस विक्रयपत्र में ऊपर वर्णित हैं, व जिन्हें संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है,

मेहरवान सिंह

अरविन्द



24/08/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177449

11

यह भी विदित हो कि विक्रीत आराजी में विक्रेतागण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा, कब्जा व दखल मालिकाना उनकी हिस्सा बाकी आराजी पर नहीं है। उक्त आराजी कहीं किसी प्रकार रहन, विक्रय, न्यास, मुस्तगरक जमानत आदि नहीं है और किसी योजना में अर्जित नहीं है और न ही उसके अर्जन के सम्बन्ध में विक्रेतागण को आज दिन तक किसी विभाग से कोई नोटिस आदि ही प्राप्त हुआ है। विक्रेतागण ने उक्त आराजी के आधार पर किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी, वित्तीय या बैंकिंग संस्थान या निजी संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है और अपनी जमानत पर किसी को दिलाया भी नहीं है। उक्त आराजी की मिल्कियत के सम्बन्ध में कोई मुकदमा या कार्यवाही किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में

लोखन सिंह

अश्विनी

23/08/2014

23/08/2014

23/08/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 177448

12

विचारणीय नहीं है और वह किसी डिक्री की इल्लत में न तो कुर्क और न बरसरे नीलम है। विक्रेतागण को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी आदि के किसी आदेश के द्वारा उक्त आराजी अथवा उनके किसी भाग को हस्तान्तरित आदि करने से रोका या मना भी नहीं किया गया है। विक्रेतागण को समस्त अधिकार हस्तान्तरण आदि उक्त आराजी के सम्बन्ध में वैधानिक रूप से प्राप्त हैं।

अह भी विदित हो कि विक्रेतागण को उक्त आराजी से कोई विशेष लाभ नहीं है विक्रेतागण अपनी मित्कियती उक्त आराजी का विक्रय कर उससे प्राप्त होने वाले रुपयों को खर्चा खानगी एवं आवश्यक कार्यों की पूर्ती करना चाहता है। अतः विक्रेतागण ने उक्त आराजी के विक्रय करने का निश्चय कर प्रस्तावित क्रेता से

लाखनसिंह



अरविन्द



सुनील

लाखनसिंह

भारत

23 AUG 2014

रु.

25000

पच्चीस हजार रुपये

RS.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-177459

E 177459

13

बातचीत प्रारम्भ की। विक्रय के सिलसिले में विक्रेतागण की बात क्रेता- ग्रेस लैण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० के डायरेक्टर श्री अनूप सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह पंजीकृत कार्यालय 375/3 नारायण कुटी नियर चकरी रेलवे स्टेशन कानपुर नगर, से हुई, जो विक्रेतागण की उक्त आराजी को बकीमत रूपया- 51,35,000/- इक्यावन लाख पैतीस हजार रुपये मात्र में क्रय करने को तैयार व रजामन्द है। क्रेता द्वारा लगायी गई कीमत निहायत उचित, मुनासिब व बाजार भाव के अनुरूप होने के कारण विक्रेतागण को सहर्ष स्वीकार है तथा इससे अधिक कीमत कोई अन्य व्यक्ति देने को तैयार नहीं है। अतः विक्रेतागण ने अपने हितैषियों, इष्ट मित्रों पारिवारिकजनों से राय मशविरा कर व अपने हितों पर पूर्ण विचार करके उक्त खाता संख्या 14 में वर्णित आ०न० 1202

ना. 23-न. 14

अनूप सिंह

अनूप सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 979252

14

रकबा 0.6040हे0 का जुज भाग रकबा 0.4027हे0 स्थित ग्राम मेहरवानसिंह का पुरवा तहसील परगना सदर व जिला कानपुर नगर, जिनका पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमायें इस विक्रयपत्र में ऊपर वर्णित हैं व जिसको संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है, क्रेता उपरोक्त ग्रेस लैण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री अनूप सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह पंजीकृत कार्यालय 375/3 नारायण कुटी नियर चकेशी रेलवे स्टेशन कानपुर नगर, को बिलएवज रुपया— 51,35,000/— इक्यावन लाख पैतीस हजार रुपये मात्र में विक्रय कर दिया व कुल विक्रयधन इस विक्रयपत्र के अन्त में वर्णित विधि से विक्रेतागण ने क्रेता कम्पनी से प्राप्त कर विक्रीत आराजी व उससे जुड़े समस्त अधिकारों, स्वत्वों, सुखाधिकारों व समस्त मालिकाना अधिकारों सहित उक्त क्रेता

लालचर सिंह

अरविन्द

20/08/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 AUG 2011

AW 979253

15

को हस्तान्तरित कर दी यानि विक्रय कर दी तथा कब्जा व दखल वाकई मिस्त अपनी ही भाति विक्रीत आराजी पर क्रेता का करा दिया। क्रेता आज से विक्रीत आराजी के पूर्णरूपेण मालिक, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर विक्रेतागण के समान हो गया है तथा विक्रेतागण का अब विक्रीत सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध मालिकाना कब्जा, हक व हिस्सा, किसी भी किस्म का विक्रीत आराजी पर बाकी नहीं रह गया है। क्रेता को यह अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी को जिस तरह से चाहे उपयोग व उपभोग करे, आवश्यकतानुसार उस पर खेती करे, रहन, विक्रय, न्यास, वसीयत, मुस्तंगरक जमानत आदि करे, क्रेता के किसी कार्य में विक्रेतागण को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और न कभी भविष्य में होगा और क्रेता विक्रीत

ला. धन. सि. ट.

अरविन्द



Handwritten signature or mark.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 979254

16

आराजी का मालिक, संक्रमणीय भूमिधर, काबिज व दखील पूर्णतया मय हुकूक मालिकाना सुखद व कुल सुविधाओं के हो गया है। क्रेता को यह अधिकार है कि वह इस विक्रयपत्र के आधार पर अपना नाम बतौर मालिक, संक्रमणीय भूमिधर व काबिज के कागजात सरकारी के मिल्कियत के अभिलेखों में या जहां कहीं भी आवश्यकता हो, विक्रेतागण के नाम के स्थान पर अंकित करवा ले, विक्रेतागण की रजामन्दी व सहमति इस विक्रयपत्र से ही समझी जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर विक्रेतागण इस हेतु अपनी रजामन्दी अलग से भी लिखित, मौखिक व शपथपत्र आदि, देने को बाध्य रहेगे। यदि कोई बात इस विक्रयपत्र के विपरीत पायी जाये या कोई रकम विक्रेतागण की बय की हुई आराजी पर बकाया निकले या विक्रीत आराजी पर कोई भार पाया जाये या

आखन सिंह

अरवि

सुरवाजी सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 979982

17

विक्रेतागण की मिल्कियत में किसी कमी के कारण विक्रीत आराजी का कुल या जुज भाग क्रेता के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाये या क्रेता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई रकम अदा करनी पड़े या इस लेखपत्र के किसी कथन के असत्य या विपरीत होने के कारण क्रेता को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे या क्रेता को विक्रेतागण के पक्ष की किसी देयता की कोई राशि इस सम्बन्ध में अदा करनी पड़े, तो विक्रेतागण, क्रेता की प्रत्येक क्षति की पूर्ति के उत्तरदायी होंगे व उक्त क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह पूर्ण अथवा अंश विक्रयधन मय हर्जा, खर्चा व बैंक दर पर ब्याज सहित विक्रेतागण की जातेखास व उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी चाहे वसूल कर ले, इसमें विक्रेतागण को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति



कन सिंह

अश्विनी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 679203

AW 979983

18

करने का अधिकार हरगिज न होगा तथा विक्रेतागण द्वारा इस सम्बन्ध में की गई समस्त आपत्तियां अमान्य होंगी। इस विक्रयपत्र में लिखित समस्त शरायत की पाबन्दी विक्रेतागण व उनके वारिसान व कायम मुकामान पर पूर्णरूप से लागू होगी तथा क्रेता को विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में जो हुकूक इस विक्रयपत्र द्वारा प्राप्त हो रहे हैं वे सभी हुकूक क्रेता के उत्तराधिकारियों, हस्तान्तरित व स्थानापन्न आदि को भी प्राप्त होंगे।

यह भी विदित हो कि क्रेता फर्म द्वारा अपनी बोर्ड मीटिंग आफ डाइरेक्टर्स में दिनांक 26 अगस्त सन् 2014 को रेज्यूलेशन पास कर श्री अनूप सिंह पुत्र श्री धर्मपाल को उक्त वर्णित आराजी को क्रय करने हेतु अधिकृत किया गया है।

माधव सिंह
अरविन्द
20/8/14



19

अतः विक्रेतागण व क्रेता ने खूब सोच विचारकर, अपनी अपनी स्वस्थ मन, बुद्धि व वित्त की अवस्था में, बिना किसी जोर, दबाव या लालच के, अपने अपने हितैषियों व कानूनी सलाहकारों से राय मशविरा कर, समक्ष गवाहान यह विक्रयपत्र क्रेता के पक्ष में निष्पादित कर दिया, ताकि सनद रहे व प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे।

विवरण वसूलयाबी विक्रयधन रूपया— 51,35,000/— इक्यावन लाख पैतीस हजार रुपये

मात्र

मुबल्लिग 8,43,750/— जरिये चेक संख्या 000012 कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा मालरोड,
कानपुर नगर

मुबल्लिग 8,43,750/— जरिये चेक संख्या 000013 कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा मालरोड,
कानपुर नगर

लाखनसिंह

अहमद

अहमद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20

मुबलिंग 4,10,000/- जरिये चेक संख्या 000014 कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा मालरोड,
कानपुर नगर

मुबलिंग 10,12,500/- जरिये चेक संख्या 000015 कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा मालरोड,
कानपुर नगर

मुबलिंग 10,12,500/- जरिये चेक संख्या 000016 कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा मालरोड,
कानपुर नगर

मुबलिंग 10,12,500/- जरिये चेक संख्या 000017 कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा मालरोड,
कानपुर नगर

इस प्रकार विक्रेतागण ने कंता से सम्पूर्ण विक्रयधन प्राप्त किया गया, अब
विक्रयधन के सम्बन्ध में विक्रेतागण को कंता से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है।

माखन सिंह

अरवि

सुरेश सिंह

गवाहान

1- दुर्गेश सिंह यादव

(अभिनेश सिंह 310 स्वठ

पंथ करन सिंह यादव

मिथ्याम-मैहरवान सिंह का

पुरवा कानपुर नगर

गवाहों की

विक्रेतागण

अरवि

मोहन

2- सुख सिंह

बसुध यादव 310

धनपाल सिंह यादव

मिथ्याम-मैहरवान सिंह का

पुरवा कानपुर नगर

क्रेता

3000

लेखक तहरीर :


विजय बहादुर शर्मा

एडवोकेट

सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर।
(मेरे कार्यालय में प्रिंट किया गया)

SITE PLAN OF ARAZI NO. 1202

SITUATED AT VILLAGE MEHAR BAN SIKOH KAPURWA

TEHSIL KANPUR SADAR DIST. KANPUR NAGAR

SOLD ARAZI AREA : 0.4027 HECT.



Sd./ of Seller

Sd./ - of Purchaser

अराजिक

महाराज
31/01/2017

31/01/2017

K. K. Srivastava

Advt. Officer, Hanuman Temple
Gate No. 4, Civil Court Compound
Kanpur Nagar